Title: Need to provide more funds under ASIDE Scheme to Uttar Pradesh.

श्री चन्द्रभाण सिंह (फर्रुखाबाद) : सभापति महोदय, एसाइड योजना के अंतर्गत वर्ष 2004-05 में उत्तर प्रदेश को अन्य राज्यों के सापेक्ष अत्यन्त कम रुपये 12.59 करोड़ अनुमन्य हुए हैं जबकि तमिलनाडू को रुपये 39.19 करोड़ , गुजरात को 35.78 करोड़ तथा महाराट्र को रुपये 57.09 करोड़ अनुमन्य हुए हैं।

उत्तर प्रदेश एक लैंड लॉक्ड एवं उच्च निर्यात तथा निर्यात वृद्धि दर वाला राज्य है। इसके आंकड़े महानिदेशक, विदेश व्यापार, कोलकाता से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर भारत सरकार द्वारा राज्यों को एसाइड फंड अनुमन्य/ स्वीकृत किया जाता है किन्तु उत्तर प्रदेश के लैंड लॉक्ड होने के कारण यहां के निर्यातक समुद्र तटीय राज्यों (तमिलनाडू, गुजरात, महाराट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आदि) में अपने-अपने कार्यालय/ शाखाएं स्थापित कर ली हैं। प्रदेश के इन निर्यातकों द्वारा इन राज्यों में स्थापित कार्यालयों से निर्यात तो उत्तर प्रदेश का होता है किन्तु शिपिंग बिल में उत्तर प्रदेश के बजाए उन समुद्र तटीय राज्यों के नाम निर्यात की इंट्री कर दी जाती है जिन राज्यों में उत्तर प्रदेश के निर्यातकों द्वारा अपने-अपने कार्यालय/ शाखाएं खोली गई हैं तथा जहां से निर्यात की जाती है। इसके परिणाम्स्वरूप उत्तर प्रदेश को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। इस संबंध में अनुरोध करना है कि वर्ष 04-05 में एसाइड योजना के अंतर्गत प्रदेश को अनुमन्य रुपये 12.59 करोड़ की धनराशि के स्थान पर न्यूनतम 30 करोड़ की केन्द्रीय सहायता तुरन्त अवमुक्त की जाए।